<u>न्यायालय:— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103006652014</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—686 / 14</u> संस्थापित दिनांक—20.11.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

01—इमरत सिंह पुत्र अर्जुन सिंह कुशवाह उम्र 47 साल 02—शिशुपाल पुत्र अर्जुन सिंह कुशवाह उम्र 28 साल 03—रामसिंह पुत्र अर्जुन सिंह कुशवाह उम्र 32 साल निवासीगण दिल्ली दरवाजा के पास, चंदेरी। 04—कमल उर्फ कमल सिंह पुत्र मोहन सिंह कुशवाह उम्र 28 साल निवासी सिंहपुर चाल्दा।

.....आरोपीगण

राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा:– श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 02.05.2017 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 294, 341, 323, 506 बी, 34 इजाफा 324 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहतगण से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादिव की धारा 294, 341, 323/34—दो शीर्ष, 506 बी के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 324/34 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी बिट्टू उर्फ अंकुश जैन ने दिनांक 22.10.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को जब वह सदर बाजार में अपनी दुकान के बाहर खडा था तभी इमरत कुशवाह, रामिसंह कुशवाह, शिशुपाल कुशवाह, कमल कुशवाह चारों आए और मां—बहन की बुरी बुरी गालियां देकर बोले कि तुमने कल मेरे लडका अशोक से झगडा क्यों किया और जब उसने झगडा न करने की कहा तो इमरत कुशवाह ने डंडा से उसकी मारपीट कर दी जिससे उसके सिर में चोट आई एवं रामिसंह, शिशुपाल ने मिटाई बनाने वाले लकडी के दस्ता से मारपीट की जिससे उसके मुंह, पेट, छाती, पेट एवं शरीर में जगह जगह चोटें आईं। उसे बचाने के लिए उसके पिताजी चंद्रकुमार आए तो चारों आरोपीगण ने उनकी भी मारपीट की जिससे उन्हें भी चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक 467/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 294, 341, 323, 506 बी, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 341, 323/34—दो शीर्ष, 324/34, 506 बी के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ

किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 22.10.2014 को समय करीब 03.00 बजे दिन में थाना चंदेरी अंतर्गत सदर बाजार में फरियादी की दुकान के पास सार्वजनिक स्थान पर फरियादी की सह अभियुक्त के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया एवं उक्त आशय के अग्रसरण में आरोपीगण ने या उनमें से किसी ने आहत बिट्टू की लकडी के दस्ते से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 बिट्टू जैन, अ.सा. 02 चंद्रकुमार, अ.सा. 03 सुरेंद्र पटेरिया, अ.सा. 04 निक्की जैन, अ.सा. 05 राजेश कटरिया, अ.सा. 06 डॉ एस पी सिद्धार्थ, अ.सा. 07 मुबीनउद्दीन, अ.सा. 08 नसीम, अ.सा. 09 राजकुमार रघुवंशी की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।
- 08— अभियोजन साक्षी 01 बिटटू जैन ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को सदर बाजार चंदेरी में दिन में साढे 3 से 4 बजे आरोपीगण उसकी दुकान पर आए। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण घर से लोहे का बड़ा पलटा और लाठी लेकर आए थे तथा उसके साथ मारपीट की थी जिसकी रिपोर्ट प्रपी 01 उसने लेखबद्ध कराई थी। अ.सा. 02 चंद्रकुमार ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण उसकी दुकान पर आए थे और उसके तथा बिटटू के साथ मारपीट की थी। अ.सा. 02 के अनुसार आरोपी इमरत पलटा लिए हुए था। अ.सा. 01 ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपी इमरत

पलटा लिए हुए था। अ.सा. 04 निक्की जैन ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह दुकान में उपर था तब कुछ लोग आए और उन्होंने बताया कि लड़ाई हुई है। उक्त साक्षी के अनुसार मारपीट में उसके भाई एवं उसके पिता को चोटें आई थीं। अ.सा. 05 राजेश ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह बिटटू की दुकान के पास से गुजर रहा था तब आरोपीगण व बिटटू की कहासुनी हो गई थी। यद्यपि अ.सा. 05 ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने फरियादी के साथ घटना दिनांक को मारपीट की थी।

09— अ.सा. 03, अ.सा. 07 एवं अ.सा. 08 पक्षद्रोही हो गए हैं तथा उनके द्वारा अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अ.सा. 09 राजकुमार मामले का विवेचक है। उक्त साक्षी द्वारा प्रकरण में विवेचना के दौरान नक्शामौका प्रपी 02 बनाया जाना अपने कथनों में बताया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने उक्त दिनांक को आरोपी शिशुपाल से प्रपी 10 के अनुसार लोहे का पलटा जप्त किया था तथा उक्त साक्षी के अनुसार उसने साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए थे।

10— प्रकरण में अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा. 04 एवं अ.सा. 05 ने अपने कथनों में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य झगडा हुआ था। अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 जो कि मामले के फरियादी एवं आहत हैं, ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से बताया है कि उक्त घटना दिनांक को सभी आरोपीगण एक साथ उनकी दुकान पर आए थे। अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उक्त घटना दिनांक को लोहे के पलटे से मारपीट की गई जिसमें फरियादी एवं आहत को चोटें आई थीं। अ.सा. 06 डॉ एस पी सिद्धार्थ जो कि मेडिकल विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा अपने कथनों में बताया गया है कि उन्होंने उक्त घटना दिनांक को आहत बिट्टू, आहत निक्की एवं आहत प्रसन्न का मेडिकल परीक्षण किया था जिनकी रिपोर्टें प्रपी 06 लगायत

प्रपी 08 हैं। उक्त रिपोर्टानुसार आहत बिटटू के शरीर पर 13 चोटें पाई गई थीं। अ.सा. 06 की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उक्त घटना दिनांक को आहतगण को चोटें आई थीं जो कि सख्त एवं भौंथरी वस्तु से तथा मानव दांतों के काटने से आना प्रकट हो रही थीं। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आहत बिट्टू को आई चोट कमांक 01, 04 एवं 12 मिटाई के पलटे से नहीं आ सकती। इस प्रकार आहत को आई चोट पलटे जैसे आयुध से आना प्रकट हो रही है जिसके उपयोग से मृत्यु कारित भी हो सकती है। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा अपराध में उपयोग किया गया आयुध धारा 324 भादिव की परिधि में आता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तटस्थ एवं अखंडनीय रही है तथा अभियोजन साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामला संदेहास्पद है।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत बिट्टू को लोहे के पलटे/लोहे के दस्ते से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की गई। परिणामतः आरोपीगण को भादि की धारा 324/34 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए सिद्धदोष किया जाता है।

12— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चन्देरी जिला—अशोकनगर

पुनश्च:-

13— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है। आरोपीगण द्वारा लोहे के पलटे जैसे हथियार से अपराध कारित किया गया है जिससे कि मृत्यु भी कारित हो सकती थी। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

14— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा हिंसा का मार्ग अपनाया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना उचित होगा कि प्रकरण में आरोपीगण का फरियादी पक्ष से न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है और साथ ही आरोपीगण का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः ऐसी दशा में आरोपीगण को कारावास के दंडादेश से दंडित करना समीचीन प्रतीत नहीं होता। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 324/34 के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500–500/— रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण सात दिवस का साधारण कारावास भोगेंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना

समीचीन प्रतीत होता हो।

15— आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा पलटा, डंडा एवं लाठी मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट किए जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

17— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)